

## अनुबंध 2.15

शहरी सहकारी बैंक : विवरणियों का वर्णन, आवधिकता और  
प्रस्तुतीकरण की निर्दिष्ट तिथि

क्रम सं.	विवरणी का नाम	वर्णन	आवधिकता	द्वारा प्रस्तुत	नियत तिथि
1.	औसत दैनिक शेष	भा.रि.बैं. अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना	पार्श्विक	भा.रि.बैं. - डीएडी	सामान्यतः डीएडी अगले पखवाड़े में आरओ को भेजता है
2.	तुलनपत्र	बीआर ऐक्ट (एएसीएस) धारा 29 और 31	वार्षिक 31 मार्च की स्थिति के अनुसार	सभी यूसीबी	30 सितंबर को या उसके पहले
3.	फार्म बी	भा.रि.बैं. अधिनियम धारा 42	पार्श्विक	अनुसूचित बैंक	रिपोर्टिंग शुक्रवार/ माह के अंतिम शुक्रवार से 7 दिनों के भीतर
4.	फार्म IX	बीआर ऐक्ट (एएसीएस) धारा 27	मासिक	सभी यूसीबी	बाद वाले महीने का अंतिम दिन
5.	फार्म IX (विशेष)	बीआर ऐक्ट (एएसीएस) धारा 27	वार्षिक 31 मार्च की स्थिति के अनुसार	सभी यूसीबी	15 मई
6.	फार्म VIII	बीआर ऐक्ट (एएसीएस) धारा 18 और 24	वार्षिक 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार	सभी यूसीबी	कैलेंडर वर्ष समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर
7.	फार्म I परिशिष्ट I और II के साथ	बीआर ऐक्ट (एएसीएस) धारा 18 और 24	मासिक	सभी यूसीबी	बाद वाले महीने की 20 तारीख
8.	फार्म II	बीआर ऐक्ट (एएसीएस) धारा 20(2)	मासिक	सभी यूसीबी	अगले महीने का अंतिम दिन
9.	मौद्रिक समुच्चय	गैर सांविधिक	मासिक	जमाराश 10 करोड़ रुपये से अधिक	अगले महीने की 10वीं तारीख
10.	दंडस्वरूप ब्याज	**बीआर ऐक्ट (एएसीएस) धारा 18 और 24	जब कभी सीआरआर और एसएलआर बनाये रखने में चूक हो	चूककर्ता सभी यूसीबी	जैसे ही फार्म I प्राप्त हो

## अनुपूरक

वित्तीय एवं  
बैंकिंग सारिख्यकी  
के संबंध में मैनुअल

**अनुबंध 2.15 (जारी)**

क्रम सं.	विवरणी का नाम	वर्णन	आवधिकता	द्वारा प्रस्तुत	नियत तिथि
11.	दंड रजिस्टर	**बीआर ऐक्ट (एएसीएस) धारा 46(ए) 47ए	जब कभी विवरणियाँ प्रस्तुत करने में चूक हो	सभी यूसीबी	उस खास विवरणी की नियत तिथि के बाद कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है
लाइसेंसिंग					
1.	आबंटन रजिस्टर			भा.रि.बै.	जब कभी जरूरत हो
2.	बैंक लाइसेंसिंग रजिस्टर	**बीआर ऐक्ट (एएसीएस) धारा 22		भा.रि.बै.	जब कभी जरूरत हो
3.	शाखा लाइसेंसिंग रजिस्टर	**बीआर ऐक्ट (एएसीएस) धारा 23		भा.रि.बै.	जब कभी जरूरत हो
4.	फार्म VI भारत में कार्यालयों का विवरण	बीआर ऐक्ट (एएसीएस) धारा 23	तिमाही	सभी यूसीबी	तिमाही समाप्ति के एक महीने के भीतर
आयोजना					
1.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र/ कमज़ोर वर्ग को ऋण एवं अग्रिम	गैर सांविधिक	वार्षिक	सभी यूसीबी	जिस अवधि से यह संबंधित है, उसके अंत होने के एक माह के भीतर
2.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम अल्पसंख्यकों को ऋण की उपलब्धता	गैर सांविधिक	मार्च और सितंबर	सभी यूसीबी	जिस अवधि से यह संबंधित है, उसके अंत होने के एक माह के भीतर
3.	यूसीबी का निवेश अन्य यूसीबी/ संस्थाओं में	बीआर ऐक्ट (एएसीएस) की धारा 19	तिमाही	सभी यूसीबी	जिस अवधि से यह संबंधित है, उसके अंत होने के एक माह के भीतर
	एएलएम (आस्ति देयता प्रबंध)				
1.	ब्याज दर संवेदनशीलता	गैर सांविधिक	महीने का अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार	अनुसूचित बैंक	

## अनुबंध 2.15 (जारी)

क्रम सं.	विवरणी का नाम	वर्णन	आवधिकता	द्वारा प्रस्तुत	नियत तिथि
2.	अल्पावधि गत्यात्मक चलनिधि	गैर सांविधिक	मासिक	अनुसूचित बैंक	
3.	संरचनात्मक चलनिधि विवरण	गैर सांविधिक	मासिक	अनुसूचित बैंक	
एमआईएस (प्रबंध सूचना प्रणाली)					
1.	1 करोड़ रुपये से अधिक के वाद दखिल खाते का विवरण	गैर सांविधिक	तिमाही	अनुसूचित बैंक	तिमाही समाप्त होने के एक माह के भीतर
2.	25 लाख रुपये और अधिक राशि की जानबूझकर चूक के लिए विवरण	गैर सांविधिक	तिमाही	अनुसूचित बैंक	तिमाही समाप्त होने के एक माह के भीतर
पुनर्वास					
1.	वार्षिक वित्तीय समीक्षा		वार्षिक	सभी यूसीबी	
2.	निदेशाधीन बैंक	गैर सांविधिक		भा.रि.बै.	
3.	परिसमापनाधीन बैंक	गैर सांविधिक		भा.रि.बै.	
4.	अधिक्रमण के अधीन बैंक	गैर सांविधिक		भा.रि.बै.	
5.	तिमाही रिपोर्ट		तिमाही	सभी यूसीबी	
निदेश					
1.	शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम	गैर सांविधिक	तिमाही	सभी यूसीबी	तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर
2.	वार्षिक एनपीए	गैर सांविधिक	वार्षिक	सभी यूसीबी	वित्तीय वर्ष के 2 माह के भीतर
3.	दैनिक मांग और सूचना पर प्रतिदेय राशि	गैर सांविधिक	पाक्षिक	सभी यूसीबी	तिमाही समाप्त होने के 10 दिनों के भीतर

## अनुपूरक

वित्तीय एवं  
बैंकिंग सारिख्यकी  
के संबंध में मैनुअल

**अनुबंध 2.15 (जारी)**

क्रम सं.	विवरणी का नाम	वर्णन	आवधिकता	द्वारा प्रस्तुत	नियत तिथि
4.	बैंक के निदेशकों को ऋण एवं अग्रिम	गैर सांविधिक	तिमाही	सभी यूसीबी	तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर
<b>धोखाधड़ी</b>					
1.	वास्तविक रिपोर्ट	गैर सांविधिक निश्चित नहीं	कोई आवधिकता निर्धारित नहीं	सभी यूसीबी	ज्योही मामले पर किसी बैंक का ध्यान जाये
2.	कोटि वर्गीकरण	गैर सांविधिक	तिमाही		
3.	शिकायत रजिस्टर	गैर सांविधिक		भा.रि.बै.	कोई निश्चित आवधिकता नहीं, लेकिन ज्योही बैंक रिपोर्ट करे
4.	धोखाधड़ी के बकाया मामले	गैर सांविधिक	तिमाही	सभी यूसीबी	तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर
5.	डॉकैती/लूटपाट/चोरी/संधमारी की रिपोर्ट	गैर सांविधिक	तिमाही*	सभी यूसीबी	घटना होने के एक सप्ताह के भीतर
<b>प्रोक्ष निगरानी (ओएसएस)</b>					
1.	I- आस्तियों और देयताओं के संबंध में विवरण	गैर सांविधिक	तिमाही	अनुसूचित बैंक - जमाराशि 100 करोड़ रुपये से अधिक	तिमाही समाप्त होने से 6 सप्ताह
2.	II- अर्जन का विवरण	गैर सांविधिक	तिमाही	अनुसूचित बैंक - जमाराशि 100 करोड़ रुपये से अधिक	तिमाही समाप्त होने से 6 सप्ताह
3.	III- आस्ति गुणवत्ता के संबंध में विवरण	गैर सांविधिक	तिमाही	अनुसूचित बैंक - जमाराशि 100 करोड़ रुपये से अधिक	तिमाही समाप्त होने से 6 सप्ताह

## अनुबंध 2.15 (समाप्त)

क्रम सं.	विवरणी का नाम	वर्णन	आवधिकता	द्वारा प्रस्तुत	नियत तिथि
4.	IV- अनर्जक आस्तियों के संबंध में विवरण	गैर सांविधिक	तिमाही	अनुसूचित बैंक - जमाराशि 100 करोड़ रुपये से अधिक	तिमाही समाप्त होने से 6 सप्ताह
5.	V- खंड/क्षेत्र के संबंध में विवरण	गैर सांविधिक	तिमाही	अनुसूचित बैंक - जमाराशि 100 करोड़ रुपये से अधिक	तिमाही समाप्त होने से 6 सप्ताह
6.	VI - सहबद्ध उथार देने के संबंध में विवरण	गैर सांविधिक	तिमाही	अनुसूचित बैंक - जमाराशि 100 करोड़ रुपये से अधिक	तिमाही समाप्त होने से 6 सप्ताह
7.	VII- सीआरएआर के संबंध में विवरण	गैर सांविधिक	तिमाही	अनुसूचित बैंक - जमाराशि 100 करोड़ रुपये से अधिक	तिमाही समाप्त होने से 6 सप्ताह
8.	VIII- बैंक प्रोफाइल के संबंध में विवरण	गैर सांविधिक	31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक	अनुसूचित बैंक - जमाराशि 100 करोड़ रुपये से अधिक	तिमाही समाप्त होने से 6 सप्ताह

\* मैनुअल और अनुप्रयोग में अंतर

\*\* दिये गये प्रावधान के अंतर्गत भा.रि.बैं. निष्पादन करता है।